न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **59 / 2017** दायर दिनाँक **14.03.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. श्रीभगवान दत्तकपुत्र भैरूराम, उम्र–43साल, 2. रामेश्वरलाल पुत्र शिवबक्स, 3. उगमाराम पुत्र शिवबक्स, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुखाराम पुत्र हिराराम, 2. मूलाराम पुत्र हिराराम, 3. छीगनाराम पुत्र हिराराम, 4. देवी पत्नी हिराराम, 5. खींवाराम पुत्र मुना, 6. घींसाराम पुत्र मुना, 7. गणेशाराम पुत्र मुना, 8. गिरधारीराम पुत्र मुना, 9. रामकरण पुत्र मुना, 10. छोटा पुत्र मुना, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. रामधन पुत्र सेवाराम, 12. मूलाराम पुत्र सेवाराम, 13. बुधाराम पुत्र सेवाराम, 14. ग्यारसी पत्नी सेवाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भागीरथ पुत्र रामेश्वर, 16. कँवरी पत्नी रामेश्वर, 17. पेमाराम पुत्र भूराराम, 18. ग्यानाराम पुत्र गोमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. प्रबन्धक, एस.बी.आई.बैंक, शाखा–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 59/2017
दायर दिनाँक 14.03.2017, निर्णय दिनाँक 21.06.2018
श्रीभगवान, वगैरा बनाम् सुखाराम, वगैरा।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **21.06.2018**

शरहद मौजा डाबड़ा में खेत खसरा संख्या 259 रकबा 25.00 बीघा व खसरा नम्बर 261 रकबा 27.01 बीघा व खसरा नम्बर 252 रकबा 30.00 बीघा व खसरा नम्बर 250 रकबा 0.12 बीघा तथा खसरा नम्बर 251 रकबा 16.09 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 का नाम अंकित है।

प्रार्थना वादीगण है कि, वादग्रस्त उपर्युक्त भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वादवर्णितानुसार बन्ट में आई भूमियों का पक्षकारान् को खातेदारान् घोषित किया जावे तथा अन्यों का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–डाबड़ा में पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रकरण में उपस्थित। पक्षकारान् ने वादग्रस्त भूमियों की बन्ट व कब्जाकाश्त अनुसार, मौका रिपोर्ट मय नजरीनक्शा के पेश की है व इसी मौका रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान् वादग्रस्त खसरान् की भूमियों की खातेदारी चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान् इस्तदुआ पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

ममजें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। पक्षकारान् वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदारान् हैं व विधिवत् बन्टवारा करवाना चाहते हैं। पक्षकारान् वादग्रस्त भूमियों के सहखातेदारान् होने के कारण से विधिवत् बन्टवारा करवाने के हकदार है।

वाद का किसी पक्षकार दारा खण्डन नहीं किया गया। मजमें आम में प्राप्त जानकारी, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकनोपरान्त व पक्षकारान् इस्तदुआ पर विचार करने के बाद, पक्षकारान् द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय सहमत है व उक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 59/2017
दायर दिनाँक 14.03.2017, निर्णय दिनाँक 21.06.2018
श्रीभगवान, वगैरा बनाम् सुखाराम, वगैरा।

विभाजन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में वाद डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मतानुसार उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवचेन वाद, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा डाबड़ा के वादग्रस्त मुतनाजा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, पक्षकारान् द्वारा दिनाँक 21.06.2018 को पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरीनक्शा में वर्णित/दर्शित भूमियों की खातेदारी निम्नानुसार घाषित की जाती हैः–

1. खसरा नम्बर 259 रकबा 25.00 बीघा भूमि में से, रकबा 14.05 बीघा का वादी संख्या 03 को व रकबा 06.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 18 को व रकबा 03.00 बीघा का वादी संख्या 01 को तथा शेष रकबा 01.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्ब 261 रकबा 27.01 बीघा भूमि में से, रकबा 15.00 बीघा का वादी संख्या 02 को तथा रकबा 12.01 बीघा का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोष्ति किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 252 रकबा 30.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 250 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 251 रकबा 16.09 बीघा भूमि, में से हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 10 को तथा शेष हिस्सा 3/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त घोषित खातेदारी मुताबिक, राजस्व अभिलेख दुरस्त हो। पक्षकारान् विभाजन प्रस्ताव मय नजरीनक्शा दिनाँक 21.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–डाबड़ा

निर्णय आज दिनाँक **21.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–डाबड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **59/2017** दायर दिनाँक **14.03.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. श्रीभगवान दत्तकपुत्र भैरूराम, उम्र–43साल, **2.** रामेश्वरलाल पुत्र शिवबक्स, **3.** उगमाराम पुत्र शिवबक्स, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	**1.** सुखाराम पुत्र हिराराम, **2.** मूलाराम पुत्र हिराराम, **3.** छीगनाराम पुत्र हिराराम, **4.** देवी पत्नी हिराराम, **5.** खींवाराम पुत्र मुना, **6.** घींसाराम पुत्र मुना, **7.** गणेशाराम पुत्र मुना, **8.** गिरधारीराम पुत्र मुना, **9.** रामकरण पुत्र मुना, **10.** छोटा पुत्र मुना, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **11.** रामधन पुत्र सेवाराम, **12.** मूलाराम पुत्र सेवाराम, **13.** बुधाराम पुत्र सेवाराम, **14.** ग्यारसी पत्नी सेवाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **15.** भागीरथ पुत्र रामेश्वर, **16.** कँवरी पत्नी रामेश्वर, **17.** पेमाराम पुत्र भूराराम, **18.** ग्यानाराम पुत्र गोमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **19.** प्रबन्धक, एस.बी.आई.बैंक, शाखा–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **20.** प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **21.** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 59/2017
दायर दिनाँक 14.03.2017, निर्णय दिनाँक 21.06.2018
श्रीभगवान, वगैरा बनाम् सुखाराम, वगैरा।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **21.06.2018**

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा डाबड़ा के वादग्रस्त मुतनाजा का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, पक्षकारान् द्वारा दिनाँक 21.06.2018 को पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरीनक्शा में वर्णित/दर्शित भूमियों की खातेदारी निम्नानुसार घाषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 259 रकबा 25.00 बीघा भूमि में से, रकबा 14.05 बीघा का वादी संख्या 03 को व रकबा 06.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 18 को व रकबा 03.00 बीघा का वादी संख्या 01 को तथा शेष रकबा 01.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्ब 261 रकबा 27.01 बीघा भूमि में से, रकबा 15.00 बीघा का वादी संख्या 02 को तथा रकबा 12.01 बीघा का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोष्ति किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 252 रकबा 30.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 250 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 251 रकबा 16.09 बीघा भूमि, में से हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 10 को तथा शेष हिस्सा 3/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त घोषित खातेदारी मुताबिक, राजस्व अभिलेख दुरस्त हो। पक्षकारान् विभाजन प्रस्ताव मय नजरीनक्शा दिनाँक 21.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प–डाबड़ा

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर

[illegible]

Scanned by CamScanner